बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
संकल्प

श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक–सह–निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना, के विरूद्ध 'बाबा सत्य साईं इंटरप्राइजेज', पटना की मिली भगत से 2004 में बाढ़ राहत सामग्रियों के क्रय एवं वितरण में पटना समाहरणालय द्वारा बरती गई अनियमितता के मामले में निगरानी थाना कांड संख्या– 08/2005 दिनांक 28.05.2005 कायम किये जाने के कारण विभागीय संकल्प संख्या 06/श्रम वि0आ0 5013/05–343 दिनांक 03.11.2005 द्वारा निलंबित किये गये थे। तदोपरांत उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के लिये विभागीय संकल्प संख्या 06/श्रम वि0आ0 5013/05–453 दिनांक 09.02.2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

2. श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के विरूद्ध यह आरोप गठित किया गया था कि श्री संजीव कुमार वल्द श्री रामानंद सिंह द्वारा दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत बाबा सत्य साईं इन्टरप्राइजेज, 405–अन्नपूर्णा बिहार, वेद नगर, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना का निबंधन कराने हेतु दिनांक 24.04.2004 को आवेदन दिया गया परन्तु मूल आवेदन पत्र श्री बीरेन्द कुमार महतो, श्रम अधीक्षक–सह निरीक्षी पदाधिकारी, पटना ने साजिश के तहत दिनांक 13.04.2004 को प्राप्ति दिखाया। प्रतिष्ठान का निरीक्षण किये बिना उन्होंने प्रतिष्ठान को कार्यरत बताया तथा दिनांक 26.04.2004 को उक्त फर्जी प्रतिष्ठान का निबंधन कर दिया एवं पद का भ्रष्ट दुरूपयोग किया।

3. श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक–सह–निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना, के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री चन्द्र नाथ झा, तत्कालीन उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री झा के स्थानांतरण के पश्चात् विभागीय संकल्प संख्या 2242 दिनांक 28.06.2007 द्वारा श्री राम देव रजक, तत्कालीन संयुक्त श्रमायुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी श्री रामदेव रजक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन को अस्वीकृत करते हुये विभागीय संकल्प संख्या 3153 दिनांक 13.10.2008 द्वारा श्री उपेन्द्र कुमार राय, श्रमायुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। परन्तु श्री उपेन्द्र कुमार राय के सेवानिवृत हो जाने के कारण विभागीय संकल्प संख्या 2000 दिनांक 23.08.2010 श्री गरीब साहू तत्कालीन अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

4. श्री गरीब साहू, तत्कालीन अपर सचिव–सह संचालन पदाधिकारी ने दिनांक 24.10.2011 को समर्पित जॉच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के विरूद्ध गठित आरोप को पूर्णतः प्रमाणित पाया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त श्री महतो से विभागीय पत्रांक 280 दिनांक 01.02.2012 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री महतो ने द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर दिनांक 05.03.2012 प्रस्तुत किया जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत संतोषजनक एवं विश्वसनीय नहीं पाया गया। चूँकि श्री महतो के विरूद्ध आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, अतः उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का औपबंधिक निर्णय लिया गया।

5. श्री महतो के विरूद्ध अधिरोपित किये जाने वाले वृहत दण्ड पर विभागीय पत्रांक 2353 दिनांक 16.07.2013 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1424 दिनांक 27.09.2013 से प्राप्त परामर्श में आयोग द्वारा यह अभिमत दिया गया कि 'प्रस्तावित दण्ड आनुपातिक नहीं है। अतः आयोग विभागीय दण्ड प्रस्ताव से असहमति व्यक्त करता है।' किन्तु आयोग ने सरकार के निर्णय से असहमति का यथेष्ट कारण नहीं बताया।

6. इसी बीच श्री बीरेन्द्र कुमार महतो द्वारा माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार को अपनी सेवा बर्खास्तगी को रोकने हेतु सीधे एक पत्र लिखा गया। विभाग द्वारा

मामले की पुनः पूर्ण रूप से समीक्षा की गयी एवं बिहार लोक सेवा आयोग के मत से असहमत होते हुये श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के विरूद्ध भ्रष्ट आचरण एवं पद का दुरूपयोग के प्रमाणित आरोपों के कारण विभागीय संकल्प संख्या 6/श्रम वि0 आ0– 5013/05 श्र0सं0– **3892** पटना, दिनांक– 15.10.2013 सह पठित संकल्प संख्या 6/श्रम वि0 आ0– 5013/05 श्र0सं0– **622** पटना, दिनांक– 22.02.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 की कंडिका–2 की उप कंडिका (**xi**) के अन्तर्गत सेवा से बर्खास्त (**dismiss**) करने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

7. श्री बीरेन्द्र कुमार महतो द्वारा उक्त दण्ड के विरूद्ध पुनर्विलोकन याचिका दिनांक 20.11.2013 दायर की गयी थी। श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के पुनर्विलोकन याचिका की सक्षम प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी एवं यह पाया गया कि श्री महतो ने अपनी याचिका में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया है जो पूर्व में द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में दे चुके हैं। अतः सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री महतो के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड को यथावत रखने का निर्णय लिया गया एवं विभागीय पत्रांक 6/श्रम वि0 आ0– 5013/05 श्र0सं0– **4713** पटना, दिनांक– 18.12.2013 द्वारा इसकी सूचना श्री महतो को दी गयी।

8. श्री बीरेन्द्र कुमार महतो द्वारा विभागीय संकल्प संख्या 6/श्रम वि0 आ0– 5013/05 श्र0सं0– **3892** पटना, दिनांक–15.10.2013 द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या **3053/2014** वीरेन्द्र कुमार महतो बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर की गयी। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 17.11.2016 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्न रूपेण है–

For the reasons aforementioned, the resolution bearing Memo No. 3892 dated 15.10.2013 of the State Government as the disciplinary authority of the petitioner whereby an order of dismissal has been passed cannot be upheld and is accordingly quashed and set aside and for the same reason the order on review as communicated vide letter dated 18.12.2013 impugned at Annexure-2 becomes unsustainable and is quashed and set aside. The matter is remitted to the disciplinary authority to pass an order afresh but in accordance with law and bearing in mind of observations made hereinabove.

9. माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 241 दिनांक 09.01.2017 द्वारा श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक–सह–निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना, के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या 6/श्रम वि0 आ0– 5013/05 श्र0सं0– **3892** पटना, दिनांक– 15.10.2013 सह पठित संकल्प संख्या 6/श्रम वि0 आ0– 5013/05 श्र0सं0– **622** पटना, दिनांक– 22.02.2014 द्वारा अधिरोपित दण्ड को रद्द करते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा मामले पर पुनः विचार करने का निर्णय लिया गया।

10. सक्षम प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने इनके विरूद्ध गठित आरोप को इस आधार पर पूर्णतः प्रमाणित पाया है कि बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान के तहत आवेदन प्राप्ति की कोई स्थापित व्यवस्था कार्यालय में नहीं थी तथा आवेदन प्राप्ति का कोई रसीद, डायरी पंजी आदि संधारित नहीं थी आवेदन सीधे संबंधित पदाधिकारी द्वारा स्वंय प्राप्त कर उस पर लघु हस्ताक्षर प्राप्ति की तिथि दर्शाते हुये अंकित की जाती थी तथा अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित लिपिक को दी जाती थी वर्तमान मामले में भी इसी प्रक्रिया का अनुपालन किया गया । संबंधित लिपिक द्वारा शुल्क पंजी में आवेदन प्राप्ति की तिथि 24.04.2004 अंकित किया गया है जिसका कारण आरोपित पदाधिकारी एवं संबंधित लिपिक द्वारा

स्पष्ट नहीं किया जा सका। उप श्रमायुक्त, पटना के पत्रांक 380 दिनांक 09.02.2011 द्वारा यह सूचित किया गया है आवेदन प्राप्ति की तिथि शुल्क पंजी में ही अंकित की जाती है। अतः यह तथ्य प्रमाणित है कि बाबा सत्य साईं इन्टरप्राइजेज, 405— अनपूर्णा बिहार, वेद नगर, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना का निबंधन हेतु आवेदन दिनांक 24.04.2004 को ही प्राप्त हुआ था, परन्तु साजिश के तहत उक्त आवेदन प्राप्ति की तिथि दिनांक 13.04.2004 दिखायी गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त प्रतिष्ठान के निबंधन हेतु समर्पित आवेदन में दुकान खुलने की तिथि 12.03.2004 अंकित है। नियमानुसार दुकान खुलने के एक महीने के अंदर प्रतिष्ठान का निबंधन सुनिश्चित करने हेतु आरोपित पदाधिकारी द्वारा आवेदक से मिलकर आवेदन प्राप्ति की तिथि 13.04.2004 अंकित की गयी। आवेदक द्वारा इसी कारणवश आवेदन में अपने हस्ताक्षर के साथ तिथि अंकित नहीं की गयी जो विहित आवेदन प्रपत्र में अंकित करना आवश्यक है।

जॉच प्रतिवेदन में यह भी अंकित है कि बाबा सत्य साईं इन्टरप्राइजेज, पटना का बिना निरीक्षण किये कार्यरत बताने तथा निबंधन करने के संबंध में आरोपित पदाधिकारी द्वारा यह कहा गया था कि उनके द्वारा प्रतिष्ठान का दिनांक 19.04.2004 को निरीक्षण करने के बाद आवेदक को कार्यालय में आकर आवेदन प्रपत्र में पिता का नाम अंकित करने का निर्देश दिया गया था तथा उक्त त्रुटि सुधार के बाद ही निबंधन किया गया। संचालन पदाधिकारी की राय में यदि आरोपित पदाधिकारी के इस कथन को सत्य भी माना जाये तो भी यह संदेहास्पद है कि एक आवासीय अर्पाटमेंट की चौथी मंजिल पर स्टेशनरी एवं आर्डर सप्लायर का दुकान अवस्थित था तथा जिसे श्रम अधीक्षक द्वारा दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में परिभाषित दुकान एवं प्रतिष्ठान मानते हुये निबंधन के योग्य पाया गया। जब निबंधन हेतु प्राप्त आवेदन अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण था तो आवेदन के त्रुटि निराकरण के पूर्व ही आरोपित पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना किस प्रकार विश्वसनीय कहा जा सकता है। सामान्य रूप से अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर या तो उसे अस्वीकृत किया जा सकता था अथवा आवेदन को विधिवत त्रुटि निराकरण का लिखित आदेश दिया जा सकता था परंतु ऐसा कुछ नहीं किया गया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा संतुष्ट होने के कारण के रूप में यह भी कहा है कि उक्त प्रतिष्ठान का दिनांक 09.04.2004 को आई0डी0बी0आई बैंक पटना में खाता एवं सात लाख रूपये से अधिक राशि जमा होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध था, परन्तु आई0डी0बी0आई बैंक में खाता होने मात्र से यह किस प्रकार मान्य हो सकता है कि कोई प्रतिष्ठान विधिवत स्थापित है तथा बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अधीन निबंधन के योग्य है। निगरानी ब्यूरो द्वारा इस संबंध में अपने प्रतिवेदन में जो शंका व्यक्त की गयी है वह सार्थक प्रतीत होती है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव में जो साक्ष्य समर्पित किये है उनसे बचाव पक्ष को कोई बल नहीं मिलता है एवं श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के विरूद्ध आरोप पूर्णतः प्रमाणित होते हैं।

11. श्री बीरेन्द्र कुमार महतो ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर दिनांक 05.03.2012 तथा पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 20.11.2013 में अपने बचाव में यह उल्लेख किया है कि बाबा सत्य साईं इंटरप्राइजेज का आवेदन पत्र दिनांक 13.04.2004 को ही प्राप्त हुआ था, दिनांक 24.04.2004 को नहीं। किन्तु आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण रहने के कारण उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। दिनांक 19.04.2004 को उसी मोहल्ले में अपने वरीय पदाधिकारी श्री अशोक कुमार से व्यक्तिगत कार्य से मिलने गये थे उसी क्रम में उक्त प्रतिष्ठान में जाकर आवेदन को भूल सुधार के लिये बताया। इसके पश्चात् दिनांक 26.04.2004 को हस्ताक्षर किया। यदि आवेदन दिनांक 24.04.2004 को प्राप्त होता तो किस आधार पर निबंधन पंजी तथा निबंधन प्रमाण पत्र में निबंधन की तिथि दिनांक 13.04.2004 अंकित किया जा सकता था।

श्री महतो के अनुसार संचालन पदाधिकारी उनके विरूद्ध पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे एवं उनके द्वारा तथ्यों का गलत ढंग से प्रतिवेदित किया गया है। उप श्रमायुक्त, पटना के पत्रांक 380 दिनांक 09.02.2011 की जांच एवं प्रतिपरिक्षण के दौरान उनको उपलब्ध नहीं कराया गया तथा संबंधित लिपिक